

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान - श्री श्री रेडी

- आदेश :-

पार्थी को "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र एवं पटवारी श्री श्री रेडी की सूचना बिजौलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ओरधनपुर तहसील बिजौलिया जिला बिजौलिया की जमाबन्दी सम्बन्ध 2014-2017 में खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ओरधनपुर	37	प्यारी पत्नी पन्ना लाल दर्ज है	काना संख्या 37 में कानेपट्ट का नाम प्यारी पत्नी पन्ना लाल बजाई के स्थान पर शम्भारी पत्नी पन्ना लाल बजाई किया गया है।

श्री श्री रेडी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया

दिनांक - 16.11.2021

क्रमांक - 192/21

- 1. तहसीलदार बिजौलिया को संज्ञापूर्वक सूचित है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
- 2. जोड़ा किया जायेगा तहसील रिपोर्ट निम्नवत है।
- 3. पार्थी को शम्भारी की पत्नी पन्ना लाल की श्री श्री रेडी की सूचना के अनुसार बिजौलिया जिला बिजौलिया की जमाबन्दी सम्बन्ध 2014-2017 में खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -
- 4. आदेश पत्रावली।

श्री श्री रेडी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया